



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-23092025-266311
CG-DL-E-23092025-266311

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4170]

नई दिल्ली, मंगलवार, सितम्बर 23, 2025/आश्विन 1, 1947

No. 4170]

NEW DELHI, TUESDAY, SEPTEMBER 23, 2025/ASVINA 1, 1947

ग्रामीण विकास मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 सितम्बर, 2025

का.आ. 4288(अ).—महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 (2005 का 42) की धारा 29 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, इस आशय से संतुष्ट होकर कि ऐसा करना आवश्यक और समीचीन है, उक्त अधिनियम की अनुसूची 1 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, नामतः :-

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 की अनुसूची I, अनुच्छेद 4, उप अनुच्छेद 2 में प्रावधान के बाद निम्नलिखित प्रावधान डाला जाएगा :-

बशर्ते कि, केन्द्रीय भूजल बोर्ड (सीजीडब्ल्यूबी) द्वारा उपलब्ध गतिशील भूजल संसाधन मूल्यांकन रिपोर्ट में 'Over-Exploited', 'Critical', 'Semi-Critical' और 'Safe' के रूप में वर्गीकृत मूल्यांकन इकाइयों (ब्लॉक) को कार्यवाही के लिए प्राथमिकता वाले क्षेत्रों के रूप में माना जाएगा, जैसे कि जिला कार्यक्रम समन्वयक या कार्यक्रम अधिकारी यह सुनिश्चित करेगा कि लागत के संदर्भ में ब्लॉकों में किए जाने वाले कार्यों का न्यूनतम प्रतिशत जल संरक्षण, जल संचयन और अन्य जल संबंधी कार्यों के लिए निम्नलिखित के अनुसार होगा, नामतः;

(क) 'Over-Exploited' और 'Critical' ग्रामीण ब्लॉक में 65 प्रतिशत

(ख) 'Semi-Critical' ग्रामीण ब्लॉकों में 40 प्रतिशत

(ग) 'Safe' ग्रामीण ब्लॉकों में 30 प्रतिशत

[फा. सं. जे-11017/05/2021-आरई-VII]

रोहिणी रामदास भांजीभाकरे, संयुक्त सचिव

टिप्पणी: महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 की अनुसूची-1 को पहली बार संख्या का.आ. 323(अ), दिनांक 6 मार्च, 2007 द्वारा संशोधित किया गया था और अंतिम बार संख्या का.आ. 3622(अ), दिनांक 6 अगस्त, 2025 द्वारा संशोधित किया गया था।

MINISTRY OF RURAL DEVELOPMENT

NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd September, 2025

S.O. 4288(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 29 of the Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act, 2005 (42 of 2005), the Central Government being satisfied that it is necessary and expedient so to do, hereby makes the following further amendments to Schedule I of the said Act, namely:-

In the Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act, 2005, in Schedule I, in Paragraph 4, in sub-paragraph (2), after the proviso, the following proviso shall be inserted, namely:-

“Provided further that the assessment units (Blocks) classified as 'Over-exploited', 'Critical', Semi-critical' and 'Safe' in the available Dynamic Ground Water Resources Assessment Report, by the Central Ground Water Board (CGWB), shall be treated as priority areas for intervention, and the District Programme Coordinator or Programme Officer shall ensure that a minimum percentage of the works to be taken up in the assessment units (Blocks) in terms of cost, shall be for water conservation, water harvesting and other water-related works as per following, namely:-

- (a) 65 per cent in 'Over-exploited' and 'Critical' rural blocks;
- (b) 40 per cent in 'Semi-critical' rural blocks; and
- (c) 30 per cent in 'Safe' rural blocks”.

[F. No. J-11017/05/2021-RE-VII]

ROHINI RAMDAS BHAJIBHAKARE, Jt. Secy.

Note : Schedule I of the Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act, 2005 was first amended vide number S.O. 323(E), dated the 6th March, 2007 and lastly amended vide number S.O. 3622(E), dated the 6th August, 2025.